an>

Title: Regarding exclusion of socially and economically well-off castes in the Other Backward classes.

**श्री राजकुमार सैनी (कुरूक्षेत्र)** ः देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सितम्बर 1993 में लागू हुई, जिसके अनुसार केंद्रीय सेवाओं में 52 प्रतिशत जनसंख्या वाले प्रत्याशियों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए। तब से लेकर अब तक राज्यों में सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से समर्थ जातियों को पिछडे वर्ग की सूचियों में डाला जाता रहा है। यह आरक्षण का मज़ाक और राजनैतिक उद्देश्यों के लिए दुरूपयोग है। मार्च, 2014 में इस दुरूपयोग की सारी सीमाएं पूर्व सरकारों ने पार कर नौ राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड के विशेष जातियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ताक पर रखकर कैबिनेट मीटिंग करके केंद्रीय सेवाओ में लागू कर ओ.बी.सी. की सूची में जोड़ दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 मार्च, 2015 को कैबिनेट के अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक निर्णय को रद्द कर दिया। इस फैसले को रद्द ही रखा जाये।